A2
3

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, श्रीगंगानगर
कैम्प न्यायालय – गांव 27 जी.जी.
पीठासीन अधिकारी– श्रीमती रीना छीम्पा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 2018/109 दिनांक 22 जून, 2018

।। आदेश ।।

आवेदक द्वारा राजस्व अभिलेख में संशोधन हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र, राजस्व पटवारी 27 जी.जी., भू.अ.निरीक्षण चूनावढ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार, श्रीगंगानगर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1958 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम 9 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्बत् 2068–2071 के खाता संख्या 14 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्व किया जाकर राजस्व अभिलेखों में कियान्विती के आदेश दिये जाते हैं–

क.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्ठि (अशुद्व प्रविष्टि)	आदेश (शुद्व प्रविष्टि जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज की जानी है)
1	9 जी छोटी	14	खेतासिंह वल्द ईशरसिंह कौम जटसिख, सा. देह खातेदार रहन–एस.बी.बी.जे. शाखा चूनावढ	खेतासिंह वल्द ईशरसिंह कौम जटसिख, सा. देह खातेदार रहन–एस. बी.आई, चूनावढ

(श्रीमती रीना छीम्पा)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत एवं
सहायक कलक्टर (F.T.), श्रीगंगानगर

क्रमांक रा.लो.अ./कैम्प/2018/1580 दिनाक 22 जून, 2018
प्रतिलिपि–

1. तहसीलदार, श्रीगंगानगर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व अभिलेखों में कियान्विती की जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवावें.
2. आवेदक श्री खेतासिंह वल्द ईशरसिंह को सूचनार्थ.

(श्रीमती रीना छीम्पा)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत एवं
सहायक कलक्टर (F.T.), श्रीगंगानगर